न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 03/2023/प्रार्थना पत्र/बउनवान/घनश्याम बनाम बद्रीलाल वगै0

जीसीएमएस संख्या 2023/00006

1. घनश्याम पुत्र श्री कस्तूरा जाति मीणा निवासी खेही तहसील बारां हाल निवास सुभाष नगर पत्थर मंडी कोटा जिला कोटा (राज0)
2. कस्तूरीबाई पत्नि श्री कस्तूरा जाति मीणा निवासी खेडी तहसील बारां हाल निवास सुभाष नगर पत्थर मंडी कोटा जिला कोटा (राज0)
3. सोसरबाई पुत्री श्री कस्तूरा जाति मीणा निवासी खेडी तहसील बारां हाल निवास सुभाष नगर पत्थर मंडी कोटा जिला कोटा (राज0)
4. रामगोप पुत्र श्री कस्तूरा जाति मीणा निवासी खेडी तहसील बारां हाल निवास सुभाष नगर पत्थर मंडी कोटा जिला कोटा (राज0)
5. कृष्णमुरारी पुत्र श्री कस्तूरा जाति मीणा निवासी खेडी तहसील बारां हाल निवास सुभाष नगर पत्थर मंडी कोटा जिला कोटा (राज०)

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र माधो जाति मीणा निवासी खेडी तहसील बारां जिला बारां (राज0)
2. कविता पुत्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी खेडी तहसील बारां जिला बारां (राज0)
3. गीताबाई पत्नी राधेश्याम जाति मीणा निवासी खेडी तहसील बारां जिला बारां (राज0)
4. पवन पुत्र राधेश्याम जाति मीणा निवासी खेडी तहसील बारां जिला बारां (राज0)
5. मोहर पुत्री रामकिशन जाति मीणा निवासी खेडी तहसील बारां जिला बारां (राज0)
6. राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी खेडी तहसील बारां जिला बारां (राज0)
7. रानी पुत्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी खेडी तहसील बारां जिला बारां (राज0)
8. रामकरण पुत्र माधो जाति मीणा निवासी खेडी तहसील बारां जिला बारां (राज0)
9. विष्णु पुत्र राधेश्याम जाति मीणा निवासी खेडी तहसील बारां जिला बारां (राज0)
10. सीमा पुत्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी खेडी तहसील बारां जिला बारां (राज0)
11. बाबूलाल पुत्र बद्रीलाल जाति मीणा निवासी खेडी तहसील बारां जिला बारां (राज0)
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील वादीगण : श्री अमित कुमार गौड़

वकील प्रतिवादी कम 5 : श्री देवेन्द्र चौरसिया

वकील प्रतिवादी कम 6 : श्री हरिओम यादव

दायरा दिनांकः 05.01.2023 **निर्णय दिनांक : 04.03.2025**

निर्णय

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम । ता 10 के संयुक्त खाते की आराजी खाता संख्या 688 खसरा नं0 3025 रकबा 2. 78 हे० वाके ग्राम बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां राज० में स्थित है जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में प्रार्थीगण का नाम संयुक्त खाते में दर्ज रिकार्ड है तथा प्रार्थीगण का हिस्सा सम्पूर्ण खाते में 1/6 निहित

Scanned by CamScanner

है। उक्त वर्णित आराजी को वाद में विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है।

2. यह कि उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 ता 10 के सयुक्त खाते दर्ज है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त होकर काश्त करते आ रहे हैं लेकिन कुछ वर्षों से अप्रार्थी कम 1 व अप्रार्थी कम 11 जो आपस में पिता पुत्र हैं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी कर रहे हैं इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से अपना खाता पृथक करवाकर अपने पृथक खाता दर्ज करवाना चाहते है जिसके प्रार्थीगण कानूनन अधिकारी है।
3. यह कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कई बार खाता विभाजन का निवेदन किया जा चुका है किन्तु अप्रार्थीगण खाता विभाजन को तैयार नहीं हैं। विधिवत खाता विभाजन के अभाव में प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी में भू–सुधार भी नहीं करवा पा रहे हैं इसलिए प्रार्थीगण अपने हिस्से को अपने पृथक खाते दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।
4. यह कि अप्रार्थी कम 1 व 11 आये दिन प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी में मेडबन्दी को लेकर अनावश्यक विवाद कर रहे है तथा प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी पर कब्जा करने व आराजी को रहन–बेचान करने की धमकी दे रहे है इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द करवाने के अधिकारी हैं।
5. यह कि अप्रार्थी कम 11 अप्रार्थी कम 1 का पुत्र है जो अपने पिता से मिलकर प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है इसलिए अप्रार्थी कम 11 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।
6. यह कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित है क्योंकि प्रार्थीगण आराजी के रिकार्डेड सहखातेदार है तथा प्रत्येक इंच भूमि पर अपना हक अधिकार रखते हैं।
7. यह कि सुविधा का संतुलन पूर्णतया प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योकि प्रार्थीगण उक्त आराजी के खातेदार है तथा आराजी का वर्तमान में विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, दिनांक 28.11.2022 को अप्रार्थी कम 1 व 11 द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी में मेडबन्दी को लेकर विवाद करने व हिस्से की आराजी पर कब्जा करने व बिना विभाजन आराजी को बेचान करने की धमकी दी है।
8. यह कि अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण की तुलना में प्रार्थीगण की अधिक है अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने व आराजी का बिना विधिवत विभाजन बेचान करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अनावश्यक वाद विवाद में उलझना पडेगा तथा प्रार्थीगण को आर्थिक क्षति उठानी पडेगी जिससे प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार किया जाना संभव नहीं होगा।
9. यह कि अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण आराजी खसरा नं0 3025 रकबा 2.78 हे० वाके ग्राम बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां राज० बिना विधिवत विभाजन रहन बेचान नहीं करें प्रार्थीगण को उनके हिस्से की आराजी पर शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 05.01.2023 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 ता 4 एवं 7 ता 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी कम 1 ता 4 एवं 7 ता 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी कम 5 की ओर से श्री देवेन्द्र चौरसिया एवं प्रतिवादी कम 6 की ओर से श्री हरिओम यादव उपस्थित आए। अधिवक्ता प्रतिवादी कम 5 व 6 ने जवाब प्रस्तुत नही किया, जवाब बंद कर सीधे बहस सुनी गई।

Scanned by CamScanner

वकील उभयपक्ष बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण द्वारा उन्हीं तथ्यों को हराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी ने कथन क्या कि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित नही की जा सकती है। प्रस्तुत त्रावली में शामिल राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को म्न बिन्दुओं को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा आराजी खाता संख्या 688 खसरा नं0 3025 रकबा 2.78 हे० वाके ग्राम बोहत तहसील मांगरोल आराजी को रहन–बेचान न करने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र की विवादित आराजी शामलाती खाते में हिस्सा 1/6 निहित है। अप्रार्थी कम 1 व 11 द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी में मेडबन्दी को लेकर विवाद करने व हिस्से की आराजी पर कब्जा करने व बिना विभाजन आराजी को बेचान करने की धमकी दी है। सहखातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन होने तक अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि पक्षकारान के मध्य वाद–विवाद न हो। अनावश्यक वादकरण को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
2. **अपूरणीय क्षति** : यदि अप्रार्थी कम 1 ता 11 द्वारा विवादित आराजी का रहन–बेचान या किसी प्रकार से हस्तान्तरण किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रार्थना पत्र, बहस वकील उभयपक्ष, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कम 1 ता 11 के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आराजी खाता संख्या 688 खसरा नं0 3025 रकबा 2.78 हे0 वाके ग्राम बोहत तहसील मांगरोल आराजी को रहन–बेचान न करें, मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तंकमील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner